



# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## Rajasthan Public Service Commission, Ajmer

Tel.: 0145-2635200

Email:rpssc@rajasthan.gov.in

एफ 3 (38) स्टोर/नीलामी/रालेसेआ/24-25/24

दिनांक :- 31.01.2025

--:नीलामी सूचना:--

आयोग कार्यालय में स्थित विविध अनुपयोगी सामग्री की खुली नीलामी दिनांक 24.02.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे से की जानी है। सामग्री का पुस्तक मूल्य लगभग राशि रु.31.32 लाख एवं न्यूनतम बिक्री मूल्य (आरंभिक बोली मूल्य) 1,50,000/- लाख निर्धारित किया गया है। बोली लगाने से पूर्व राशि 50000.00 रु. नगद/ड्राफ्ट आयोग कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है। सामग्री का अवलोकन आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर नीलामी के समय या पूर्व में किया जा सकता है। सामग्री की बिक्री एकमुश्त की जायेगी। नियमानुसार जी.एस.टी. व आयकर सफल बोलीदाता द्वारा पृथक से स्वयं जमा करवाया जायेगा। अधिकतम बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग का होगा। नीलामी की शर्तें आयोग की वेबसाईट [www.rpssc.rajasthan.gov.in](http://www.rpssc.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

*हस्ता*  
उप सचिव 31-1-25

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर


## अनुपयोगी सामग्री के नीलामी की शर्तें

1. बोली लगाने से पूर्व बयाना (अर्नेस्ट मनी) रू. 50,000/- नगद/डी.डी. द्वारा जमा कराना आवश्यक है जिसके अभाव में बोली नहीं लगा सकेगें।
2. नीलामी न्यूनतम बिक्री मूल्य रू 1,50,000/- से शुरू की जायेगी।
3. बोली 500/- रू. के गुणांक में लगानी अनिवार्य है।
4. सामान जैसा है, वैसी स्थिति में बोली समाप्त होने के 24 घंटों के भीतर उठाना होगा।
5. सामान उठाने से पूर्व बोली की राशि नगद/डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी।
6. नियमानुसार सफल बोलीदाता को जी.एस.टी. की राशि स्वयं द्वारा भुगतान करना होगा तथा जमा राशि के चालान की प्रति आयोग कार्यालय में संपूर्ण सामग्री उठाने से पूर्व जमा करानी होगी।
7. नीलामी की अधिकतम बोली राशि का 01 प्रतिशत आयकर टी.डी.एस. भी सफल बोलीदाता द्वारा जमा करा चालान की प्रति आयोग कार्यालय में जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता द्वारा अनुपयोगी सामग्री की लगाई गई बोली जमा नहीं कराने की स्थिति में पूर्व में जमा करवाई गई बयाना (अर्नेस्ट मनी) राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. नीलामी समाप्ति पर अधिकतम 2 बोलीदाताओं की जमा राशि रोककर शेष की राशि/डी.डी. तुरन्त लौटा दी जाएगी।
10. अधिकतम बोलीदाता की जमा बयाना (अर्नेस्ट मनी) राशि बिक्री मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी एवं द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की राशि जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार 02 दिवस बाद बिक्री मूल्य में समायोजित/लौटा दी जावेगी।
11. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर का निर्णय अन्तिम होगा।

मैंने नीलामी की उक्त शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है एवं मैं नीलामी की उक्त शर्तों से सहमत हूँ।

दिनांक:-

हस्ताक्षर बोलीदाता  
(मोहर सहित)

  
हस्ताक्षर  
उपसचिव (स्टोर)